परिशिष्ट (यथासंशोधित)

छत्तीसगढ़ राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017–27 (यथासंशोधित)

प्रस्तावनाः–

(अ) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ रही वैश्विक जागरूकता के परिदृष्य में कोयला आधारित ऊर्जा के पारंपरिक स्त्रोतों पर राज्य की निर्भरता को कम करना और अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आवश्यक हो गया है। अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत में सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण में सामानजस्य रखते हुए भविष्य में जीवाश्म आधारित ईंधन (Fossil Fuel) के उपयोग पर निर्भरता को सुनियोजित तरीके से समाप्त करने तथा बिजली की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए निर्णायक रणनीतियों (Crucial Strategy) के तहत गैर परंपरागत ऊर्जा के स्त्रोतों के उपयोग बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है।

(ब) सौर ऊर्जा जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है, का वर्तमान में उपलब्ध क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं हो पा रहा है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की घोषणा करते हुए भारत में प्रत्येक वर्ष के औसतन 300 धूप वाले दिनों में प्रतिदिन 5.5 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर की औसत दर से सौर विकिरण का उपयोग देश की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पहल की गई है। उक्त योजना के प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देश में सोलर पार्क विकसित कर अल्ट्रामेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट योजना के तहत 20 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई। वर्ष 2017 में उक्त योजना के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट के लक्ष्य को 20 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 40 हजार मेगावाट किया गया।

(स) राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय की उक्त योजना को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है जो भारत सरकार की सोलर पार्क विकसित कर अल्ट्रामेगा पॉवर प्लांट की स्थापना हेतु भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी यथा सोलर एनर्जी कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सहयोग से राज्य में उपलब्ध सौर विकरण के अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रयासरत है।

(द) प्रकृति में सहजता से उपलब्ध सौर प्रकाश का दोहन कर सौर विकिरण आधारित सौर विद्युत क्षमता के विकास तथा पर्यावरण पर बदलाव के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु बड़ी संख्या में अल्ट्रामेगा सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित करना एक प्रभावी पहल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के साथ–साथ ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने में सहायता मिलेगी।

(इ) छत्तीसगढ़ में सौर विकिरण की उच्च तीव्रता उपलब्ध होने से बड़े पैमाने पर सौर–ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत के प्रमुख सौर विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में राज्य को विकसित करने की असीमित संभावनाएं है। सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु असीमित संभावनाएं तथा राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण सौर उपस्कर उत्पादन का भविष्य भी बहुत उज्जवल है और इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि की भी संभावनाएं है। तदानुसार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित संयंत्रों के निर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए अनुकूल एवं लाभप्रद स्थितियां विद्यमान हैं।

(फ) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन हेतु वर्ष 2012 में जारी नीति की वैधता 31 मार्च 2017 तक थी। विगत कुछ वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी बदलाव, लागत व्यय में कमी तथा बिजली के क्षेत्र में अपरंपरागत स्त्रोत आधारित बिजली के क्रय की अनिवार्यता हेतु विनियमों में परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में आगामी 10 वर्षो में इस क्षेत्र में निवेश की बहुत अधिक संभावनाएं है अतः राज्य में आगामी 5 से 10 वर्षों में सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में भी नई नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

(ह) छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) ने राज्य में मजबूत विद्युत पारेषण प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत 400 के.व्ही., 220 के.व्ही. तथा 132 के.व्ही. की विद्युत लाइनें राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध है। राज्य में विद्युत पारेषण की भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए पारेषण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता उन्नयन हेतु अधोसंरचना के कार्य प्रस्तावित हैं, जिससे दूरस्थ अंचलों में सौर पॉवर प्लांट की स्थापना कर उत्पादित बिजली का पारेषण सहजता से किया जा सकेगा।

(ज) राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रदेश में अल्ट्रासोलर पॉवर प्लांट विकसित कर राज्य में सौर ऊर्जा की उपलब्ध क्षमता को आवश्यकता के अनुरूप विकसित करने के लिए राज्य सरकार एतद्द्वारा ''छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017–2027'' जारी की गई है। सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों के निर्माण में तेजी से तकनीकी उन्नयन होने से सौर ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की लागत दर में लगातार कमी आ रही है फलतः निजी क्षेत्र में केप्टिव यूज तथा बिजली की मांग एवं अंतर में कमी लाने के लिए पारंपरिक स्त्रोत आधारित बिजली के उत्पादन के विकल्प के रूप में सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना महत्वपूर्ण हो गई है। अतः राज्य की सौर ऊर्जा नीति 2017–27 में व्यापक संशोधन आवश्यक हैं।

तदनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा ''छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017–27 (यथासंशोधित)'' जारी करती है।

1. उद्देश्यः–

राज्य सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ''छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति 2017–27'' लागू करती है :–

(अ) विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के प्रयोजन एवं पर्यावरणीय और आर्थिक एवं दूरगामी योजना के तहत सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
(ब) सौर विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना ।
(स) राज्य में सौर उत्पादन क्षमताओं के विकास हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करना ।
(द) कोयले जैसे पारंपरिक तापीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को क्रमशः कम करते हुए राज्य की दीर्घकालीन ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करना।
(इ) प्रदेश के दूरस्थ व पहुंच विहीन क्षेत्रों में निवासरत् ग्रामीणों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय (Stand Alone) आधार पर ग्रिड से पृथक सौर अनुप्रयोगों को प्रोत्साहित करना।
(प) सर्व प्रयोजन हेतु स्वच्छ ऊर्जा (clean energy) की पहुंच सुनिश्चित करना।
(फ) राज्य में विकेन्द्रीकृत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करना ।

(क) सौर ऊर्जा उत्पादन, निर्माण और संबंधित सहायक उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार संभावनाओं का सृजन करना ।

(ख) सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु राज्य में उपलब्ध पड़त/गैर कृषि अनुपयोगी भूमि का प्रभावी उपयोग करना ।

(ग) इस क्षेत्र के लिए कुशल और अर्द्ध कुशल मानव संसाधन का विकास करना।

(घ) सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन से संबंधित अभिनव परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

2. प्रचलन की अवधिः–

राज्य की सौर ऊर्जा नीति, 2017–27 (प्रथम संशोधन), आदेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2027 तक अथवा नई सौर ऊर्जा नीति के जारी होने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए प्रभावशील रहेगी।

3. परियोजना विकासकर्ता हेतु पात्रताः–

कोई व्यक्ति, पंजीकृत कंपनी, केन्द्रीय और राज्य विद्युत उत्पादन और वितरण कंपनियां और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के सौर विद्युत परियोजना विकासकर्ता (सौर फोटोवोल्टेक/सौर तापीय) और सौर विद्युत परियोजनाओं से संबंधित उपस्करों की निर्माणकर्ता इकाइयां और सहायक उद्योग, समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत अधिनियम 2003 के अनुसरण में सौर विद्युत परियोजनाओं, चाहे वे केप्टिव उपयोग और/अथवा विद्युत के विक्रय के उद्देश्य से हों, को स्थापित करने हेतु पात्र होंगे ।

4. सोलर पॉवर प्लांट को दी जाने वाली सुविधाएंः–

अ) ग्रिड से सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजना की स्थापना स्वयं के उपयोग के लिए अथवा राज्य के बाहर सीधे किसी उपभोक्ता/संस्था/लाइसेंसी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने के लिए की जा सकेगी। सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना के विकासकर्ताओं को राज्य में स्वयं के उपयोग अथवा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर बिजली के विक्रय हेतु सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा।

ब) ग्रिड से सम्बद्ध सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजना को अक्षय ऊर्जा (सोलर) सर्टिफिकेट (Renewable Energy Certificate-REC) प्रणाली के माध्यम से बिजली क्रय की अनुमतिः–

राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को सौर विद्युत संयंत्र स्थापित कर उत्पादित बिजली को आरईसी (सोलर) मैकेनिजिम के अंतर्गत अन्यंत्र बेचने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित बिजली का क्रय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा Renewable Purchase Obligation (अक्षय ऊर्जा क्रय प्रतिबद्धता–आरपीओ) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के तहत किया जा सकेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली की मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बिजली क्रय हेतु अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

स) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अथवा उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अंतर्गत राज्य के सौर ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को आरईसी (सोलर) सर्टिफिकेट विक्रय की अनुमति रहेगी।

द) सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत 01 किलोवाट या 01 किलोवाट से अधिक क्षमता के रूफटाप सोलर पॉवर प्लांट को ग्रिड कनेक्टीविटी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. सौर पॉवर प्लांट के प्रकारः–

राज्य में स्थापित होने वाले सौर पॉवर प्लांट को निम्नानुसार 04 संवर्गो में चिन्हित किया जाएगाः–

(अ) संवर्ग–। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

(ब) संवर्ग–।। राज्य में केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाईसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट।

(स) संवर्ग–।।। राज्य में आरईसी– सोलर मैकेनिजिम (Solar Mechanism) के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

(द) संवर्ग–iv जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट।

6. लक्षित क्षमताः–

राज्य शासन में विभिन्न संवर्ग के सोलर पॉवर प्लांट हेतु निम्नानुसार क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का प्रयास किया जाएगा ।

(अ) संवर्ग–। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली के विक्रय हेतु आमंत्रित प्रतिस्पर्धा आधारित निविदा के अंतर्गत सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा आरपीओ के तहत बिजली के क्रय हेतु समय–समय पर अधिसूचित रेग्युलेशन के अनुरूप रहेगा।

(ब) संवर्ग–।। राज्य द्वारा केप्टिव उपयोग अथवा राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उपभोक्ताओं/लाइसेन्सी को ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने हेतु एक ही स्थल पर स्थापित होने वाले पॉवर प्लांट हेतु न्यूनतम क्षमता 500 किलोवाट एवं अधिकतम क्षमता या एमएनआरई द्वारा राष्ट्रीय सोलर नीति, समय–समय पर संशोधित में उल्लेखित अधिकतम क्षमता के अनुरूप रहेगी।

(स) संवर्ग–।।। राज्य द्वारा आरईसी (सोलर) मैर्केनिजिम के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट हेतु क्षमता की कोई सीमा नहीं रहेगी।

(द) संवर्ग–iv राज्य द्वारा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत स्थापित होने वाले सोलर पॉवर प्लांट को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

(इ) राज्य शासन द्वारा सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्र एवं इनसे संबंधित विनिर्माण सुविधा के लिए सौर पार्क के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। सौर पार्क में सभी सामान्य सुविधाएं जैसे उपयुक्त भूमि, जल की उपलब्धता एवं आंतरिक पहुंच हेतु सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की जायेंगी। सौर पार्क में स्थापित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिए विद्युत पारेषण लाइनों की स्थापना राज्य के विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित स्टेट ग्रिड कोड, कनेक्टिविटी तथा ओपन एक्सेस हेतु प्रभावशील रेग्युलेशन के तहत की जा सकेगी।

राज्य में चिन्हित किये गये स्थलों पर विकसित सौर पार्क में निजी निवेशकों द्वारा स्वयं के व्यय पर अथवा निजी–सार्वजनिक भागीदारी (PPP) में लागत मे हिस्सेदारी (Sharing) के आधार पर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. भवनों की छत पर स्थापित होने वाली सौर विद्युत परियोजनाएंः–

भवनों की छत पर सौर विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण उदीयमान क्षेत्र है और राज्य सरकार इस निमित्त भारत सरकार के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ कर सकेगी। नवीन एवं नवीकरणीय स्त्रोत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस स्कीम के अंतर्गत परियोजना विकासकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

8. राज्य में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रो हेतु विभिन्न निवेश प्रोत्साहन, अनुदान, छूट एवं रियायते

(अ) सौर ऊर्जा नीति 2017–27 की प्रभावशील अवधि में स्थापित होने वाले सौर विद्युत उत्पादन संयंत्रों को राज्य में तत्समय लागू औद्योगिक नीति में परिभाषित प्राथमिकता उद्योगो की श्रेणी को प्राप्त होने वाली निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन अनुदान, छूट, रियायते उक्त औद्योगिक नीति में प्रावधानित सीमा अनुसार दी जावेंगी :–

1 ब्याज अनुदान।
2 स्थायी पूँजी लागत अनुदान (सूक्ष्म उद्योगो हेतु)।
3 नेट राजस्व वस्तु एवं सेवा कर प्रति पूर्ति (लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगो हेतु)।
4 विद्युत शुल्क छूट (सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगो हेतु)।
5 स्टांप शुल्क से छूट।
6 परियोजना प्रतिवेदन अनुदान।
7 भू–उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूट।
8 ओद्योगिक क्षेत्रो से बाहर (भूमि बैंक) भू–आवंटन सेवा शुल्क में रियायत।
9 अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों तथा तृतीय लिंग समुदाय के पात्र उद्यमियो को औद्योगिक क्षेत्रो में भू–आवंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम श्रेणी के उद्योगो/उद्यमो के लिये)।
10 दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान ।
11 मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्टस के लिये विशेष पैकेज।

(टीपः– उपरोक्तानुसार वर्णित सुविधाओं में सम्मिलित परिभाषा एवं व्याख्या वही होंगे जो तत्समय राज्य की प्रभावशील औद्योगिक नीति में निहित हो।)

(ब) **विद्युत शुल्क में भुगतान से छूटः–**
प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत (ऑग्जलरी खपत) व राज्य के भीतर की गई केप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी। विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट सौर ऊर्जा नीति के परिपेक्ष्य में मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली परियोजनाओं के लिये प्रभावशील रहेंगी।